

राजस्थान सरकार

मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण
राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण
प्रकटीकरण विवरण

2011-12

(राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005
की धारा 5, 6 और 7 के अन्तर्गत)

प्राक्कथन

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 एवं उक्त अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत बनाये गये राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम, 2006, क्रमशः 3 मई, 2005 तथा 4 फरवरी, 2006 से प्रभावशील हैं।

अधिनियम की धारा 5, 6 एवं 7 और सहपठित नियम 3, 4 एवं 5 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विधान सभा के समक्ष वार्षिक बजट के साथ मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण, राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण और प्रकटीकरण विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त विधिक अपेक्षाओं की अनुपालना में विधान सभा के समक्ष यह विवरण प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री

9 मार्च, 2011

I. प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमि

1. राजस्व घाटे में उत्तरोत्तर कमी, राजवित्तीय स्थिरता व संगत, विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन, सरकार की वित्तीय संक्रियाओं में और पारदर्शिता तथा मध्यमकालिक राजवित्तीय रूपरेखा में राजवित्तीय नीति का संचालन करके राजवित्तीय प्रबंधन और राजवित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 लागू किया गया है जो 3 मई, 2005 से प्रभावशील है।

2. अधिनियम की धारा 5 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वार्षिक बजट के साथ निम्नलिखित दो विवरण पत्र प्रस्तुत किये जाने आवश्यक हैं :

- (1) मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण और
- (2) राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण।

3. मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण में, अन्तर्निहित धारणाओं के स्पष्ट प्रतिपादन सहित राज्य सरकार के राजवित्तीय उद्देश्य और कार्यनीति संबंधी प्राथमिकताएं उपवर्णित होंगी।

4. विशिष्टतया और उप-धारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण में निम्नलिखित से संबंधित सहनीयता कर निर्धारण सम्मिलित होगा :-

- (क) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्ययों के बीच संतुलन ;
- (ख) उत्पादक आस्तियों के जनन के लिए उधार सहित पूंजी प्राप्तियों का उपयोग ;
- (ग) आगामी दस वर्षों के लिए जीवनांकिक आधार पर संगणित वार्षिक पेंशन दायित्व :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ से पांच वित्तीय वर्षों की कालावधि के लिए पेंशन दायित्व, जीवनांकिक आधार पर संगणित करने के बजाय, वृद्धि दरों के रुख के आधार पर पूर्वानुमान लगाकर प्राक्कलित किये जा सकेंगे।

5. राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होगा :-

- (क) राजस्व प्राप्तियों, व्यय, उधार और प्रत्याभूतियों को सम्मिलित करते हुए अन्य दायित्वों, उधार देने और विनिधान, लोक माल/सेवाओं पर उपयोक्ता प्रभार और अन्य क्रियाकलापों जैसे पब्लिक सैक्टर उपक्रमों की प्रत्याभूतियां और क्रियाकलाप, जिनकी संभावी बजटीय विवक्षाएं हैं, के वर्णन से संबंधित आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार की राजवित्तीय नीतियां ;

(ख) राजवित्तीय क्षेत्र में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार की कार्य-नीति संबंधी प्राथमिकताएं ;

(ग) राजस्व प्राप्तियों, सहायिकी, व्यय, प्रशासित मूल्य-निर्धारण, उधारों और प्रत्याभूतियों को सम्मिलित करते हुए अन्य दायित्वों से संबंधित राजवित्तीय उपायों को सम्मिलित करते हुए अन्य दायित्वों से संबंधित राजवित्तीय उपायों में किसी मुख्य विचलन के लिए मुख्य राजवित्तीय उपाय और मूलाधार ;

(घ) एक मूल्यांकन कि राज्य सरकार की चालू नीतियां धारा 4 में उपवर्णित राजवित्तीय प्रबन्ध सिद्धान्तों और मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति योजना में उपवर्णित राजवित्तीय उद्देश्यों के किस प्रकार अनुरूप हैं।

6. अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत राजवित्तीय लक्ष्य निम्नानुसार प्रस्तावित हैं :

- राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटे का लक्ष्य प्राप्त करेगी और तत्पश्चात इसे बनाये रखेगी या राजस्व अधिशेष प्राप्त करेगी;
- राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2011-12 से राजवित्तीय घाटे को सकल राज्य देशी उत्पाद के 3 प्रतिशत तक लायेगी और तत्पश्चात उक्त अनुपात को बनाये रखेगी या इसे कम करेगी।

वर्तमान प्रावधानों के अनुसार राजस्व घाटा और राजवित्तीय घाटा निम्न परिस्थितियों में धारा-6 के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हो सकेगा :-

(क) राष्ट्रीय सुरक्षा या सूखा सहायता को सम्मिलित करते हुए प्राकृतिक आपदा या राज्य सरकार के नियंत्रण से परे की ऐसी अन्य आपवादिक परिस्थितियों से राज्य सरकार के वित्त पर उत्पन्न होने वाली अकल्पित मांगों के आधार या आधारों के कारण, या

(ख) विकास और अन्य अपरिहार्य व्यय के कारण, या

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर उपदर्शित सीमाओं तक,

इसके अतिरिक्त:-

- राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी वर्ष में लोक लेखा को अपवर्जित करते हुए कुल बकाया ऋण और जोखिम भारित बकाया प्रत्याभूतियां वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर राज्य की संचित निधि में प्राक्कलित प्राप्तियों के दुगने से अधिक नहीं हों ;
- राज्य सरकार राज्य अर्थव्यवस्था और सापेक्ष राजवित्तीय युक्ति के लिए संभाव्यताएं बताते हुए वार्षिक विवरण लाना सुनिश्चित करेगी ;

- सरकार, पब्लिक सैक्टर और सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों की संख्या और सापेक्ष वेतन का ब्यौरा देते हुए बजट के साथ विशेष विवरण लाना सुनिश्चित करेगी।

उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत राजवित्तीय लक्ष्य, तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं।

वर्ष 2008-09 और 2009-10 की अपवादस्वरूप परिस्थितियों के कारण राज्यों की राजकोषीय समेकन प्रक्रिया बाधित हुई थी। तेरहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2010-11 को समायोजन का वर्ष मानते हुये आशा प्रकट की गई है कि वर्ष 2011-12 तक राज्य अपने राजकोषीय दुरुस्ती के पथ पर वापस आने में समर्थ होंगे। तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित राजस्व घाटे एवं राजवित्तीय घाटे के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है एवं इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुये वर्ष 2011-12 के बजट अनुमानों में राजवित्तीय घाटे को, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 2.42 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार वर्ष 2011-12 के बजट अनुमानों के अनुसार 352.62 करोड़ रुपये का राजस्व आधिक्य सम्भावित है।

7. अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत राज्य सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि राज्य सरकार वार्षिक बजट प्रस्तुत करते समय ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाये, एक विवरण में निम्नलिखित प्रकट करेगी :-

- किसी परिवर्तन की दशा में, विहित राजवित्तीय संकेतकों की संगणना को प्रभावित करने वाले या संभवतः प्रभावित करने वाले लेखा मानकों, नीतियों और पद्धतियों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ;
- भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त उधारों, अर्थोपाय अग्रिमों/ओवरड्राफ्टों का ब्यौरा ;
- आगामी दस वर्षों के लिये जीवनांकिक आधार पर संगणित प्राक्कलित वार्षिक पेंशन दायित्व :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ से पाँच वित्तीय वर्षों तक पेंशन दायित्व, जीवनांकिक आधार पर संगणित करने के बजाय, वृद्धि दरों के रुख के आधार पर पूर्वानुमान लगाकर प्राक्कलित किये जा सकेंगे।

8. अधिनियम लागू होने से पूर्व राज्य की वित्तीय स्थिति :- दिनांक 3 मई, 2005 को अधिनियम लागू होने से पूर्व राज्य की वित्तीय स्थिति संक्षेप में निम्नानुसार थी :

- राजकोषीय घाटे की दृष्टि से उन राज्यों को गंभीर राजवित्तीय दबाव में माना जाता है जहां राज्य का ऋणभार कुल राजस्व प्राप्तियों के 300 प्रतिशत से अधिक हो। राज्य में वर्ष 2002-03 में यह अनुपात 351 प्रतिशत हो गया था।
- वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 में राज्य का राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियों का क्रमशः 31.23 एवं 30.07 प्रतिशत था।
- वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 में राज्य का राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः 6.26 तथा 6.90 प्रतिशत था।

II. मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण

1. राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम 2006 के नियम 3 के अन्तर्गत मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण प्ररूप रा-1 में दिया जाना अपेक्षित है जो निम्नानुसार है :-

क. राजवित्तीय संकेतक-चल लक्ष्य :

	2010-11 बजट प्राक्कलन (ब.प्रा.)	2010-11 पुनरीक्षित प्राक्कलन (पु.प्रा.)	2011-12 बजट प्राक्कलन (ब.प्रा.)	अगले दो वर्ष के लिए लक्ष्य	
				2012-13	2013-14
1. राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा(-)/अधिशेष	-2.59	-1.93	0.67	0.71	0.80
2. सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजवित्तीय घाटा	2.79	2.49	2.42	2.64	2.88
3. सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल बकाया दायित्व	32.53	32.65	32.10	31.83	31.81
4. समेकित निधि के अधीन प्राक्कलित प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण और जोखिम भारित बकाया प्रत्याभूति	166	156	153	156	156

नोट- वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के बिन्दु संख्या 2 एवं 3 के अनुमान, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर पर आधारित हैं। तेरहवें वित्त आयोग द्वारा उक्त वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिये क्रमशः 11.36 प्रतिशत, 11.50 प्रतिशत एवं 11.50 प्रतिशत की वृद्धि दर अनुमानित की गई है।

ख. राजवित्तीय संकेतकों में अन्तर्निहित धारणाएं

क्रम सं.		वृद्धि दर 2009-10 (वास्तविक)	वृद्धि दर 2010-11 (पु.प्रा.)	वृद्धि दर 2011-12 (ब.प्रा.)	परियोजित वृद्धि दर	
					2012-13	2013-14
I	राजस्व प्राप्तियां					
1	केन्द्रीय करों में हिस्सा	2.88	38.86	20.13	12.00	12.00
2	राज्य का स्वयं का कर राजस्व	9.84	18.29	9.96	11.01	11.03
	क. बिक्री कर	14.14	21.02	9.67	12.00	12.00
	ख. आबकारी	6.02	6.93	6.63	8.00	8.00
	ग. स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण	0.47	28.40	8.57	10.00	10.00
	घ. मोटरयान कर	13.13	9.26	10.00	10.00	10.00
	ङ. प्रवेश कर	-7.25	-9.14	65.63	10.00	10.00
	च. विद्युत शुल्क	7.02	10.09	9.86	9.00	9.00
	छ. भू-राजस्व	-9.14	25.33	5.94	6.00	6.00
	ज. मनोरंजन और विलासिता कर	-9.31	2.55	31.25	10.00	10.00
	झ. अन्य कर (भूमि एवं भवन कर/भूमि कर)	-42.01	73.99	30.43	15.00	15.00

क्रम सं.		वृद्धि दर	वृद्धि दर	वृद्धि दर	परियोजित वृद्धि दर	
		2009-10 (वास्तविक)	2010-11 (पु.प्रा)	2011-12 (ब.प्रा.)	2012-13	2013-14
3	राज्य का स्वयं का गैर-कर राजस्व	17.22	27.20	11.04	9.25	9.35
	क. जल प्रदाय और स्वच्छता	10.16	31.14	-7.09	10.00	10.00
	ख. खनन	26.39	11.95	14.13	13.00	13.00
	ग. पेट्रोलियम	1203.07	1212.22	30.34	10.00	10.00
	घ. ब्याज प्राप्तियां	-0.88	3.81	-0.12	5.00	5.00
	ङ. अन्य (पेट्रोलियम सहित)	18.41	-29.14	-3.12	5.00	5.00
4	केन्द्रीय सहायता-अनुदान	-8.58	53.65	14.35	8.56	8.61
	क. गैर-आयोजना अनुदान	34.85	36.90	44.46	10.00	10.00
	ख. योजना अनुदान	-22.71	103.18	-6.11	10.00	10.00
	ग. के.प्रा.यो. अनुदान	-19.89	25.94	12.64	5.00	5.00
	कुल राजस्व प्राप्तियां (1 से 4)	5.73	29.97	13.70	10.66	10.71
II	गैर-योजना राजस्व व्यय	18.65	11.27	9.47	10.04	9.97
	(i) ब्याज संदाय (ऋण सेवा)	8.75	9.40	8.19	9.00	9.00
	(ii) पेंशन	47.10	13.60	10.88	10.00	10.00
	(iii) आपदा राहत	25.73	-3.08	5.00	5.00	5.00
	(iv) सामान्य शिक्षा	20.82	7.10	8.16	10.00	10.00
	(v) चिकित्सा और स्वास्थ्य	17.43	10.67	12.19	11.00	11.00
	(vi) जल प्रदाय एवं स्वच्छता	16.36	-1.29	7.82	10.00	10.00
	(vii) ऊर्जा	19.24	38.34	8.26	12.00	10.00
	(viii) सिंचाई	5.89	8.13	7.78	8.00	8.00
	(ix) अन्य	13.95	15.83	11.35	11.00	11.00
III	योजना राजस्व व्यय	15.27	43.10	16.85	15.00	15.00
IV	के.प्रा.यो. राजस्व व्यय	-10.63	60.77	13.83	5.00	5.00
V	पूँजीगत व्यय	-12.29	31.78	25.38	20.00	20.00
VI	उधार और अग्रिम (शुद्ध)	53.82	-137.81	-12.11	10.00	10.00
VII	सकल राज्य देशी उत्पाद	13.34	18.83	10.00	10.00	10.00

ग. सहनीयता का निर्धारण (Assessment of sustainability)

(i) अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि कुल व्यय और राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हो। वर्ष 2010-11 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 18.83 प्रतिशत तथा वर्ष 2011-12 में 10 प्रतिशत एवं 2012-13 व 2013-14 में 10 प्रतिशत अनुमानित है। वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित प्राक्कलनों में कुल कर राजस्व प्राप्तियां, जी.एस.डी.पी. का 15.16 प्रतिशत रहना अनुमानित है और वर्ष 2013-14 तक इसके 15.87 प्रतिशत तक रहने की संभावना है। राज्य का स्वयं का कर राजस्व, वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित प्राक्कलनों में जी.एस.डी.पी. का 6.40 प्रतिशत रहा है और वर्ष 2013-14 में यह 6.52 प्रतिशत रहना अनुमानित है। वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित प्राक्कलनों में केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से का जी.एस.डी.पी. से अनुपात 4.24 प्रतिशत है तथा यह वर्ष 2013-14 में

4.80 प्रतिशत अनुमानित है। गैर कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए उपयोक्ता प्रभारों की समय-समय पर समीक्षा करने का प्रयास किया जायेगा ताकि उन्हें सहनीय बनाया जा सके। वेतन, पेंशन तथा ब्याज भुगतान दायित्वों को सीमित रखना राजवित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से आवश्यक है। ऊर्जा क्षेत्र पर दिये जा रहे अनुदान को व्यावहारिक स्तर पर रखने का प्रयास किया जायेगा। तेरहवें वित्त आयोग ने वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त अन्य मंत्रालयों के बकाया ऋण राशि 273 करोड़ रुपये का अपलेखन करने एवं राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से दिनांक 31.03.2007 तक लिये गये ऋणों के पेटे दिनांक 31.03.2010 को बकाया ऋणों पर ब्याज की दर घटाकर 9 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। इन सिफारिशों के अन्तर्गत निर्धारित की जाने वाली प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित कर राज्य सरकार ऋण अपलेखन/ ब्याज में कमी की सुविधा का पूरा लाभ प्राप्त करने के प्रयास करेगी।

(ii) उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें बाजार से प्राप्त किये गये ऋण भी शामिल हैं। तेरहवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार वर्ष 2011-12 में राजस्व घाटा समाप्त करने एवं राजवित्तीय घाटे को राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक सीमित करने के प्रयास करेगी।

(iii) आगामी दस वर्षों हेतु जीवनांकिक आधार पर संगणित पेंशन का दायित्व प्ररूप प्र-8 में दिया गया है।

घ. राज्य अर्थव्यवस्था की संभाव्यता के ब्यौरे वाला वार्षिक विवरण

(i) **राज्य अर्थव्यवस्था का सर्वेक्षण:** राज्य की अर्थव्यवस्था का आकलन सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के प्रचलित तथा स्थिर मूल्यों पर किया जाता है। वर्ष 2010-11 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्य पर 3,03,358 करोड़ रुपये तथा स्थिर मूल्य (2004-05) पर 1,96,045 करोड़ रुपये अनुमानित है। वर्ष 2010-11 में स्थिर मूल्य (2004-05) पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 29,086 रुपये अनुमानित है, जो वर्ष 2009-10 में 26,954 रुपये थी।

वर्ष 2004-05 (स्थिर कीमतों पर) में राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद में राज्य का योगदान 4.30 प्रतिशत था जो वर्ष 2010-11 में घटकर 4.02 प्रतिशत रह गया।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। वर्ष 2004-05 एवं 2010-11 में स्थिर कीमतों पर राज्य अर्थव्यवस्था की क्षेत्रीय संरचना तालिका 1.1 में दर्शाई गई है जो अर्थव्यवस्था में हुए संरचनात्मक बदलाव को प्रकट करती है। अर्थव्यवस्था के विश्लेषण हेतु केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के दिशा-निर्देशानुसार वर्ष 2004-05 को जी.एस.डी.पी. हेतु आधार वर्ष चुना गया है। कृषि क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वानिकी एवं मत्स्य सम्मिलित हैं। उद्योग क्षेत्र में खनन, पंजीकृत विनिर्माण, अपंजीकृत विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस तथा जलप्रदाय सम्मिलित हैं। सेवा क्षेत्र के

अर्न्तगत रेल्वे, अन्य परिवहन, भण्डारण, संचार, व्यापार, होटल, बैंकिंग, बीमा, स्थावर संपदा, लोक प्रशासन तथा अन्य सेवाएं आती हैं।

तालिका 1.1

(प्रतिशत में)

क्षेत्र/वर्ष	2004-05	2010-11
कृषि	25.62 (19.03)	21.57 (14.19)
उद्योग	30.56 (27.92)	29.83 (27.96)
सेवा	43.82 (53.05)	48.60 (57.85)

नोट:- कोष्ठक के आंकड़े अखिल भारतीय हैं।

वर्ष 2010-11 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का अंशदान 21.57 प्रतिशत है जो अखिल भारतीय स्तर 14.19 प्रतिशत से अधिक है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का अंशदान 29.83 प्रतिशत है जो देश के अंशदान 27.96 प्रतिशत से अधिक है। परन्तु सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 48.60 प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर के 57.85 प्रतिशत से काफी कम है।

(ii) **सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि** : राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुए अच्छा मानसून होने अथवा नहीं होने का सकल घरेलू उत्पाद पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2004-05 से 2010-11 के दौरान स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 7.4 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि हुई, जो राष्ट्रीय स्तर के 8.6 प्रतिशत से कम है।

वर्ष 2010-11 में राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्य पर 3,03,358 करोड़ रुपये तथा स्थिर मूल्य पर यह 1,96,045 करोड़ रुपये है जो वर्ष 2009-10 की तुलना में क्रमशः 18.83 प्रतिशत तथा 9.69 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

कृषि क्षेत्र

सामान्यतः स्थिर कीमतों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी अखिल भारतीय स्तर से अधिक रही है। वर्ष 2004-05 से 2010-11 के दौरान कृषि क्षेत्र में 5.00 प्रतिशत औसत वार्षिक दर से वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि वर्ष 2004-05 से 2009-10 के दौरान यह वृद्धि 0.60 प्रतिशत थी।

औद्योगिक क्षेत्र

वर्ष 2004-05 से 2010-11 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में 7.12 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि वर्ष 2004-05 से 2009-10 के दौरान यह वृद्धि 8.22 प्रतिशत थी।

सेवा क्षेत्र

वर्ष 2004-05 से 2010-11 में सेवा क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर 9.27 प्रतिशत रही है जबकि वर्ष 2004-05 से 2009-10 के दौरान यह वृद्धि 9.44 प्रतिशत थी।

(iii) सरकार का वित्त सर्वेक्षण

(अ) प्राप्तियां

1. राज्य की अधोसंरचना के विकास हेतु किया गया लोक निवेश, राज्य की उत्पादक क्षमता में वृद्धि करता है और यह क्षमता राज्य की राजस्व वृद्धि की संभावनाओं में परिलक्षित होती है। मध्यमकाल में राज्य की राजवित्तीय सुदृढ़ता में सुधार लाना आवश्यक है, ताकि राज्य के विकास व्यय में वृद्धि हो सके एवं अर्थव्यवस्था के आधार का विस्तार किया जा सके।

2. सरकार की कुल प्राप्तियां, राज्य की संचित निधि तथा लोक लेखों की शुद्ध प्राप्तियों से निर्मित होती हैं। राजस्व प्राप्तियों, लोक ऋण तथा उधार वसूली से मिलकर राज्य की संचित निधि बनती है। वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 72.89 प्रतिशत से 83.43 प्रतिशत (तालिका 1.2) के मध्य परिवर्तित होता रहा है।

तालिका 1.2
राज्य की कुल प्राप्तियां

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियां	लोक ऋण	उधार वसूली	अन्य प्राप्तियां	संचित निधि	शुद्ध लोक लेखा	कुल प्राप्तियां	राजस्व प्राप्तियां	
								(संचित निधि से प्रतिशत)	(कुल प्राप्तियों से प्रतिशत)
2005-06	20839.19	5495.29	237.61	0.81	26572.90	853.20	27426.10	78.42	75.98
2006-07	25592.18	4222.14	513.90	0.00	30328.22	1800.14	32128.36	84.38	79.65
2007-08	30780.62	5063.34	1780.73	1.16	37625.85	-730.45	36895.40	81.81	83.43
2008-09	33468.85	7477.87	89.23	4.21	41040.16	2472.78	43512.94	81.55	76.92
2009-10	35385.01	8796.42	112.00	8.94	44302.37	4241.03	48543.40	79.87	72.89

3. राजस्व प्राप्तियों में राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियां तथा केन्द्रीय हस्तांतरण आते हैं। केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से का निर्धारण केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर होता है। तेरहवें वित्त आयोग ने राजस्थान के लिए वितरण योग्य कर (सेवा कर को छोड़कर) का 5.853 प्रतिशत तथा वितरण योग्य सेवा कर का 5.945 प्रतिशत अंश निश्चित किया है। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी हैं। राजस्व प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.3 में दिया गया है।

तालिका 1.3
राजस्व प्राप्तियों की संरचना

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियां		केन्द्रीय हस्तांतरण		कुल राजस्व	प्रतिशत वृद्धि (पूर्व वर्ष से)
	कर	गैर कर राजस्व	कर	अनुदान		
2005-06	9880.23	2737.67	5300.08	2921.21	20839.19	17.31
2006-07	11608.24	3430.61	6760.37	3792.96	25592.18	22.80
2007-08	13274.73	4053.93	8527.60	4924.36	30780.62	20.27
2008-09	14943.50	3888.46	8998.72	5638.17	33468.85	8.73
2009-10	16414.27	4558.22	9258.13	5154.39	35385.01	5.73

4. राज्य के स्वयं के कर राजस्व में गत चार वर्षों के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें 13.53 प्रतिशत की औसत वार्षिक चक्रवृद्धि दर (Annual Average Compound Growth Rate) से वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे तालिका 1.4 में दर्शाया गया है। राजकोषीय समेकन की दृष्टि से आगामी वर्षों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व में यथा संभव वृद्धि के प्रयास किये जायेंगे।

तालिका 1.4
राज्य के कर राजस्व में वृद्धि

(रुपये करोड़ में)

स्वयं का कर राजस्व	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	चक्रवृद्धि वृद्धि दर (प्रतिशत)
व्यवसाय कर एवं सेवा कर	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
भू-राजस्व	84.30	116.71	155.29	162.52	147.66	15.04
पंजीयन एवं मुद्रांक	1031.80	1293.68	1544.35	1356.63	1362.93	7.21
अन्य कर (भूमि एवं भवन कर/ भूमिकर)	0.48	52.92	51.08	227.96	132.19	307.37
राज्य आबकारी	1521.81	1591.09	1805.12	2169.90	2300.48	10.88
बिक्री कर	5593.64	6720.71	7750.74	8904.50	10163.53	16.10
वाहन पर कर	908.18	1023.61	1164.40	1213.56	1372.87	10.88
प्रवेश कर	236.71	247.60	160.61	189.86	176.10	-7.13
विधुत शुल्क	471.35	515.88	584.23	654.05	699.99	10.39
मनोरंजन एवं विलासिता कर	31.70	46.04	58.91	64.52	58.52	16.56
योग	9880.23	11608.24	13274.73	14943.50	16414.27	13.53

बिक्री कर का, राज्य के कर राजस्व में 61.92 प्रतिशत योगदान है। बिक्री कर में, वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक, चार वर्षों में, 16.10 प्रतिशत चक्रवृद्धि वृद्धि रही है। पंजीयन एवं मुद्रांक में 7.21 प्रतिशत चक्रवृद्धि वृद्धि हुई है। वर्ष 2006-07 में भूमिकर लागू किये जाने के फलस्वरूप प्राप्तियां दर्शित हो रही है।

5. राज्य के गैर कर राजस्व में, वर्ष 2008-09 के अतिरिक्त, प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है (तालिका 1.5)। खनन क्षेत्र से राजस्व वसूली उत्साहजनक रही है। पेयजल से प्राप्त राजस्व में अधिक वृद्धि नहीं हुई है और यह इस सेवा के संधारण व्यय से कम है।

तालिका 1.5
राज्य के गैर कर राजस्व के घटक

(रुपये करोड़ में)

गैर कर राजस्व	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ब्याज प्राप्तियां	990.21	1072.72	1112.43	1195.96	1185.46
जल प्रदाय एवं स्वच्छता	180.39	182.49	204.16	215.27	237.15
वन	40.07	45.24	58.30	57.74	56.35
सिंचाई (मुख्य, मध्यम व लघु)	65.21	75.94	71.52	71.52	71.45
पेट्रोलियम	7.40	8.68	8.93	8.48	110.50
खनन	814.08	1196.52	1226.61	1275.59	1612.26
अन्य	640.31	849.02	1371.98	1063.90	1285.05
योग	2737.67	3430.61	4053.93	3888.46	4558.22

(ब) व्यय

1. लोक व्यय के माध्यम से सरकार, राज्य के विकास के लिए सामाजिक तथा भौतिक अधोसंरचना उपलब्ध कराती है। लोक व्यय को आयोजना तथा आयोजना भिन्न मदों में विभाजित किया जाता है। यह मान्यता है कि आयोजना व्यय से आर्थिक विकास को गति मिलती है। साथ ही योजनान्तर्गत कार्यक्रमों (Plan Schemes) की समय-समय पर समीक्षा करना आवश्यक है ताकि योजनाओं की सामयिक सार्थकता सुनिश्चित की जा सके। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के अन्त में पूर्ण हो चुकी योजनाओं का आवर्ती व्यय, आयोजना भिन्न व्यय में हस्तान्तरित किया जाता है।
2. गत पाँच वर्षों (2005-06 से 2009-10) में आयोजना व्यय 13.03 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से और आयोजना भिन्न व्यय 14.05 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि से बढ़ा है (तालिका 1.6)।

तालिका 1.6
आयोजना तथा आयोजना भिन्न व्यय

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	आयोजना व्यय (राज्य बजट से)	वृद्धि (%)	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	आयोजना भिन्न व्यय (ऋणों के भुगतान को छोड़कर)	वृद्धि (%)	कुल व्यय	वृद्धि (%)	कुल व्यय में आयोजना व्यय का प्रतिशत
2005-06	6566.62	11.83	1201.01	18460.25	6.88	26227.88	9.13	25.04
2006-07	7025.28	6.98	1740.08	21310.45	15.44	30075.81	14.67	23.36
2007-08	8892.36	26.58	2095.00	24983.52	17.24	35970.88	19.60	24.60
2008-09	9560.07	7.51	2630.04	28345.50	13.46	40535.61	12.69	23.58
2009-10	10732.10	12.26	1836.63	33236.01	17.26	45804.74	13.00	23.43

3. लोक व्यय का वर्गीकरण पूंजीगत तथा राजस्व व्यय में किया जाता है। पूंजीगत व्यय, मुख्यतः परिसम्पत्तियों के सृजन और निवेश को दर्शाता है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि राजस्व व्यय कम करते हुए पूंजीगत व्यय में वृद्धि की जाये। वर्ष 2008-09 की तुलना में 2009-10 के दौरान आयोजना पूंजीगत व्यय में 8.01 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
4. वर्ष 2009-10 के दौरान वेतन भुगतान का व्यय, आयोजना भिन्न राजस्व व्यय का करीब 38.34 प्रतिशत रहा है और इसमें वर्ष 2008-09 की तुलना में 20.73 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है (तालिका 1.7)।

तालिका 1.7
आयोजना भिन्न राजस्व व्यय की संरचना

(रुपये करोड़ में)

आयोजना भिन्न राजस्व व्यय	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
वेतन	6211.65	6667.08	7357.77	10748.42	12976.45
पेंशन	1650.63	2116.24	2564.20	3322.11	4886.84
ब्याज	5210.20	5701.82	5942.99	6224.25	6769.13
सहायतार्थ अनुदान	2594.35	3022.37	4987.82	4350.13	4623.54
अन्य गैर आयोजना राजस्व व्यय	2700.85	3646.17	3141.20	3880.08	4589.34
योग	18367.68	21153.68	23993.98	28524.99	33845.30

(स) लोक ऋण

1. 31 मार्च, 2011 तक राज्य का लोक ऋण 69433.05 करोड़ रुपये अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 22.89 प्रतिशत होना अनुमानित है। लोक ऋण की संरचना तालिका 1.8 में दर्शायी गई है :

तालिका 1.8
लोक ऋण की संरचना

(रुपये करोड़ में)

स्रोत/ वर्ष	31.3.2009 की स्थिति	कुल ऋण का प्रतिशत	31.3.2010 की स्थिति	कुल ऋण का प्रतिशत	31.3.2011 की स्थिति (संशोधित अनु.)	कुल ऋण का प्रतिशत
बाजार से उधार	24499.58	41.69	30610.98	47.37	35448.12	51.05
वित्तीय संस्थाएं	2733.15	4.65	3212.01	4.97	3744.65	5.39
एन.एस.एस.एफ.	23768.90	40.45	23209.46	35.92	22721.77	32.73
अन्य (बॉन्ड)	147.83	0.25	110.63	0.17	73.76	0.11
अर्थोपाय अग्रिम (भारतीय रिजर्व बैंक से)	-	-	-	-	-	-
अर्थोपाय विशेष अग्रिम	-	-	-	-	-	-
केन्द्र से ऋण	7616.76	12.96	7474.49	11.57	7444.76	10.72
योग	58766.22	100.00	64617.57	100.00	69433.05	100.00

2 13वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि वर्ष 2006-07 तक संविदा किये गये और वर्ष 2009-10 के अन्त में बकाया राष्ट्रीय लघु बचत निधि से प्राप्त ऋणों पर 9 प्रतिशत की एक समान ब्याज दर निर्धारित की जाये। इस सिफारिश के तहत राज्य राष्ट्रीय लघु बचत निधि से प्राप्त ऋणों पर 5 वर्षों में लगभग 831.27 करोड़ रुपये की ब्याज में छूट प्राप्त कर सकेगा। 13वें वित्त आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि वित्त मंत्रालय को छोड़कर किन्हीं अन्य मंत्रालयों के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/केन्द्रीय आयोजना स्कीमों के लिये दिये गये एवं 2009-10 के अन्त में यथा बकाया ऋणों को बट्टे खाते डाल दिया जाये। इस सिफारिश के तहत राज्य लगभग 273 करोड़ रुपये के बकाया ऋणों के अपलेखन का लाभ प्राप्त कर सकेगा।

(iv) संभाव्यता

1. सामान्यतः राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि उत्पादन से प्रभावित होती है। राजस्थान में कृषि सदैव वर्षा के अभाव से प्रभावित रही है, जो मानसून की प्रकृति पर निर्भर है। राज्य का उत्तरी-पश्चिमी भाग जो सम्पूर्ण राज्य का लगभग 61 प्रतिशत है, या तो मरू या अर्द्ध मरूस्थली है जो जल एवं कृषि आवश्यकता हेतु पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर रहता है। राज्य में कुल फसल क्षेत्र, मानसून के प्रभाव से वर्ष दर वर्ष घटता-बढ़ता है। वर्ष 2009-10 में यह लगभग 217.45 लाख हैक्टेयर रहा, जो वर्ष 2008-09 में 227.71 लाख हैक्टेयर था।
2. वर्ष 2010-11 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान प्रचलित एवं स्थिर कीमतों पर 3,03,358 करोड़ रुपये एवं 1,96,045 करोड़ रुपये हैं, जो गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 18.83 एवं 9.69 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं। स्थिर कीमतों पर गत वर्ष की तुलना में कृषि क्षेत्र में 27.00 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र में 1.62 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र में 8.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रचलित कीमतों पर गत वर्ष की तुलना में कृषि क्षेत्र में 40.83 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र में 7.03 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र में 16.00 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

आर्थिक समष्टिभाव संकेतकों एवं राजवित्तीय संकेतकों के रुखों का ब्यौरा सारणी-1 में प्रस्तुत है:-

सारणी-1

चयन आर्थिक समष्टिभाव और राजवित्तीय संकेतकों के रुख

चयन आर्थिक समष्टिभाव

(रुपये करोड़ में)

I	आर्थिक समष्टिभाव संकेतक	2008-09 (प्राव.)	2009-10 (त्वरित)	2010-11 (अग्रिम)
I	फैक्टर लागत पर सकल राज्य देशी उत्पाद			
क	चालू कीमत पर	225254	255295	303358
ख	2004-05 की कीमत पर	171365	178730	196045
II	कृषि क्षेत्र का योगदान			
क	चालू कीमत पर	55362 (24.58)	56802 (22.25)	79995 (26.37)
ख	2004-2005 की कीमत पर	38010 (22.18)	33301 (18.63)	42291 (21.57)
III	औद्योगिक क्षेत्र का योगदान			
क	चालू कीमत पर	67510 (29.97)	76808 (30.09)	82211 (27.10)
ख	2004-05 की कीमत पर	52388 (30.57)	57551 (32.20)	58483 (29.83)
IV	सेवा क्षेत्र का योगदान			
क	चालू कीमत पर	102382 (45.45)	121685 (47.66)	141152 (46.53)
ख	2004-05 की कीमत पर	80967 (47.25)	87878 (49.17)	95271 (48.60)

कोष्ठक में लिखे अंक प्रतिशत योगदान है।

राजवित्तीय संकेतकों के रुख

II	सरकार का वित्त	2009-10 वास्तविक लेखे	2010-11 के लिए बजट प्राक्कलन	2010-11 के लिए पु.प्रा	2011-12 के लिए बजट प्राक्कलन	प्रतिशत वृद्धि/कमी(-)	
						पूर्व वर्ष से चालू वर्ष	चालू वर्ष से आगामी वर्ष
1	राजस्व प्राप्तियां (2+3)	35385.01	42463.49	45988.97	52287.36	29.97	13.70
2	कर राजस्व (2.1+2.2)	25672.40	31273.07	32271.32	36793.06	25.70	14.01
2.1	स्वयं का कर राजस्व	16414.27	19020.86	19415.70	21349.45	18.29	9.96
2.2	केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	9258.13	12252.21	12855.62	15443.61	38.86	20.13
3	गैर कर राजस्व (3.1+3.2)	9712.61	11190.42	13717.65	15494.30	41.24	12.95
3.1	राज्य का स्वयं का गैर कर राजस्व	4558.22	4975.92	5797.83	6438.13	27.20	11.04
3.2	केन्द्रीय अनुदान	5154.39	6214.50	7919.82	9056.17	53.65	14.35
4	पूँजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	13158.39	11932.56	10704.21	11810.61	-18.65	10.34
5	उधारों की वसूली	112.00	111.11	221.59	167.79	97.85	-24.28
6	गैर ऋण पूँजीगत प्राप्ति	8.94	0.00	9.30	5.85	4.03	0.00
7	लोक ऋण और अन्य दायित्व	13037.45	11821.45	10473.32	11636.97	-19.67	11.11
8	कुल प्राप्तियां (1+4)	48543.40	54396.05	56693.18	64097.97	16.79	13.06
9	गैर-योजना व्यय	33236.01	36327.08	37708.21	41238.25	13.46	9.36
9.1	राजस्व लेखा	33845.30	35809.91	37659.09	41223.80	11.27	9.47
	जिसमें है :-						
	(क) ब्याज संदाय	6769.13	7427.02	7405.75	8012.48	9.40	8.19
	(ख) सहायतार्थ अनुदान	4623.54	4794.15	4971.82	5041.13	7.53	1.39
	(ग) मजदूरी और वेतन	13348.26	14988.68	14373.92	15834.70	7.68	10.16
	(घ) पेंशन संदाय	4886.84	4996.14	5551.49	6155.47	13.60	10.88
9.2	पूँजीगत लेखा	-644.60	507.02	14.10	14.25	-102.19	1.06
9.3	उधार और अग्रिम	35.31	10.15	35.02	0.20	-0.82	-99.43
10	योजना व्यय	10732.10	12308.02	13649.27	16587.10	27.18	21.52
10.1	राजस्व लेखा	5027.69	5766.50	7194.45	8406.68	43.10	16.85
10.2	पूँजीगत लेखा	5275.61	6533.66	6447.99	8172.88	22.22	26.75
10.3	उधार और अग्रिम	428.80	7.86	6.83	7.54	-98.41	10.40
11	के. प्रा. यो. व्यय	1836.63	2400.60	2415.39	2699.12	31.51	11.75
11.1	राजस्व लेखा	1259.20	1985.31	2024.38	2304.26	60.77	13.83
11.2	पूँजीगत लेखा	543.72	392.32	357.13	363.01	-34.32	1.65
11.3	उधार और अग्रिम	33.71	22.97	33.88	31.85	0.50	-5.99
12	कुल व्यय (9+10+11)	45804.74	51035.70	53772.87	60524.47	17.40	12.56
13	राजस्व व्यय	40132.19	43561.72	46877.92	51934.74	16.81	10.79
14	पूँजीगत व्यय	5174.73	7433.00	6819.22	8550.14	31.78	25.38
15	उधार और अग्रिम	497.82	40.98	75.73	39.59	-84.79	-47.72
16	राजस्व घाटा/आधिक्य	-4747.18	-1098.23	-888.95	352.62	-81.27	-139.67
17	राजवित्तीय घाटा	-10298.79	-8461.10	-7553.01	-8063.47	-26.66	6.76
18	प्राथमिक घाटा/आधिक्य [17+9.1(क)]	-3529.66	-1034.08	-147.26	-50.99	-95.83	-65.37

ड. सरकारी विभागों, पब्लिक सैक्टर उद्यमों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में कर्मचारियों की संख्या और वेतन का ब्यौरा देने वाला विवरण :

सारणी- 2

सरकारी विभागों, पब्लिक सैक्टर उद्यमों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं इत्यादि में नियोजन और वेतन व्यय

क्र. सं.		कर्मचारियों की संख्या (हजारों में)		वेतन व्यय (रुपये करोड़ में)	
		2009--10	2010-11 (अनन्तिम)	2009--10	2010-11 (अनन्तिम)
1.	सरकारी विभाग	627 ^a	630 ^a	13795 [□]	15040 [□]
2.	पब्लिक सैक्टर उपक्रम	83 ^{**}	85 ^{**}	3102 ^{**}	3461 ^{**}
3.	सरकारी सहायता प्राप्त अनुदानित संस्थाएं	33	32	627	850
4.	पंचायतीराज संस्थाएं	78	73	2196	2205
5.	शहरी स्थानीय निकाय	33	32	705	829

* स्वीकृत पदों के अनुसार।

a 73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित अधिकारी/कर्मचारी भी सम्मिलित हैं।

** ब्यूरो ऑफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार

□ कतिपय वर्कचार्ज कर्मचारियों का वेतन सीधे निर्माण कार्यों पर प्रभारित होता है, उक्त व्यय में सम्मिलित नहीं है।

III. राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण

1. राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम 2006 के नियम 4 के अन्तर्गत राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण प्ररूप रा - 2 में दिया जाना अपेक्षित है, जो निम्नानुसार है :-

(क) राजवित्तीय नीति सर्वेक्षण - राज्य की राजवित्तीय नीति का उद्देश्य राज्य में पूंजीगत व्यय को बढ़ाना तथा समाज के कमजोर तबके को उपयुक्त सुरक्षा कवच प्रदान करना है ताकि वे मुख्यधारा से जुड़ सकें तथा सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना में निवेश किया जा सके। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता के आधार को बढ़ाया जा सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना एवं आयोजना भिन्न राजस्व व्यय को घटाना आवश्यक है। अर्थव्यवस्था में राजवित्तीय पिछड़ेपन को दूर करने हेतु शासन ने कर आधार एवं कर वसूली को बढ़ाने का प्रयास किया है। राज्य की राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2010-11 में 29.97 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राज्य के कर राजस्व में वर्ष 2009-10 में 9.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 में 18.29 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। गैर आयोजना राजस्व व्यय में वर्ष 2009-10 में 18.65 प्रतिशत वृद्धि हुई है तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 में इसमें 11.27 प्रतिशत की दर से वृद्धि अनुमानित है। राज्य का राजस्व घाटा वर्ष 2008-09 में 826.75 करोड़ तथा वर्ष 2009-10 में 4747.18 करोड़ रुपये रहा है। इन वर्षों में राजस्व घाटे में बढ़ोतरी का मुख्य कारण वैश्विक आर्थिक मंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव तथा छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के

कारण वेतन भत्तों में वृद्धि तथा एरियर राशि का भुगतान होना है। वर्ष 2010-11 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 888.95 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुमानित है। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वर्ष 2011-12 के बजट अनुमानों के अनुसार 352.62 करोड़ रुपये का राजस्व आधिक्य संभावित है।

(ख) आगामी वर्ष के लिए राजवित्तीय नीति – चूंकि वर्तमान राजवित्तीय नीति के अच्छे एवं सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं। अतः राज्य सरकार द्वारा उक्त नीति को आगामी वित्तीय वर्ष में भी लागू किया जायेगा, जिससे राज्य की आय में वृद्धि एवं आयोजना भिन्न राजस्व व्यय को नियंत्रित किया जा सकेगा।

(i) राजस्व नीति : सरकार का प्रयत्न रहेगा कि विकास की गति को कम किए बिना राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की जाए। सरकार की मंशा है कि वृहद कर सुधार नीति अपनाये, ताकि कर एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात को बढ़ाया जा सके, कर आधार का विस्तार किया जा सके, कर वसूली का पालन किया जा सके एवं कर प्रशासन को अधिक सुदृढ़ किया जा सके। कर संकलन व्यवस्था को बेहतर करने हेतु संबंधित विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी का और अधिक उपयोग किया जायेगा।

(ii) व्यय नीति : परिव्यय सदैव परिणाम में परिणित हों, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा 'आउटकम बजटिंग' भी वित्तीय वर्ष 2006-07 से लागू किया गया है। इसके फलस्वरूप लोक व्यय के वास्तविक परिणामों का आकलन किया जा सकेगा तथा तदनुसार व्यय की प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जा सकेगा। इसके साथ ही राजकीय व्यय में सादगी एवं मितव्ययता लाने का भी प्रयास किया जायेगा जिससे अनुत्पादक व्यय में कमी लाई जा सके।

(iii) उधार और अन्य दायित्व, उधार देना और विनिधान : ऋण के स्तर को राजवित्तीय घाटे के लक्ष्य के भीतर सीमित रखा जायेगा। वर्तमान में अल्प बचत ऋण तुलनात्मकरूप से महंगे सिद्ध हो रहे हैं, अतः इन ऋणों की मात्रा यथासंभव घटाते हुए कम ब्याज दर वाले अन्य ऋणों जैसे बाजार ऋण का अधिक उपयोग किया जायेगा। राज्य सरकार का यह भी प्रयास होगा कि प्राप्तियों और व्यय के मध्य दिन प्रतिदिन आधार पर इस प्रकार से संतुलन बनाया जाये, जिससे कि मार्गोपाय अग्रिम अथवा ओवर ड्राफ्ट लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। राज्य सरकार द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से राज्य में निवेश को बढ़ावा दिया जायेगा।

(iv) समाश्रित और अन्य दायित्व : प्रत्याभूतियां जारी करने हेतु वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है। तथापि राजकीय प्रत्याभूतियां जारी करते समय जोखिम को ध्यान में रखते हुए राजवित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्ध अधिनियम की धारा 6(ग) की पालना सुनिश्चित की जायेगी। विशेष प्रयोजन उपकरण और अन्य समतुल्य उपकरणों, जिसमें प्रतिसंदाय का दायित्व राज्य सरकार पर हो सकता है, से संबंधित व्यवस्था में कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है। राज्य में गारण्टी मोचन निधि की व्यवस्था वर्ष 1999-2000 से लागू की

हुई है। गारण्टी कमीशन से प्राप्त समस्त शुल्क इस निधि में रखा जाता है। बकाया प्रत्याभूतियों, जोखिम भारित प्रत्याभूतियों की सूचना एवं गारंटी मोचन निधि में जमा की जा रही राशि को प्रकटीकरण विवरण पत्र प्र. 2, 3 एवं 4 में दर्शाया गया है।

(v) उपयोक्ता प्रभारों का उद्ग्रहण : गैर कर राजस्व में वृद्धि, सिंचाई, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जल आपूर्ति आदि क्षेत्रों में उपयोक्ता प्रभारों पर निर्भर करती है। सामान्यतः उपयोक्ता प्रभार गैर कर राजस्व का एक प्रमुख घटक है। उपयोक्ता प्रभारों के निर्धारण में साम्यता तथा भुगतान क्षमता एक मार्गदर्शक सिद्धान्त होना चाहिए। अब जब विद्युत दरों के निर्धारण का उत्तरदायित्व राज्य विद्युत नियामक आयोग पर है, राज्य सरकार द्वारा अन्य उपयोक्ता प्रभारों की समय-समय पर समीक्षा की जायेगी।

(ग) आगामी वर्ष के लिए युक्तिक पूर्तिकतायें :

1 अप्रैल, 2006 से नई कर प्रणाली अर्थात् वैट लागू किये जाने के फलस्वरूप राज्य के कर संग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। गैर कर राजस्व में बेहतर वसूली के लिये हर संभव प्रयास किये जायेंगे। व्यय पर नियंत्रण करने की दृष्टि से उपलब्ध कर्मचारियों की सेवाओं का युक्तिसंगत उपयोग करने का यथासंभव प्रयास किया जायेगा। लोक ऋण का प्रबन्धन अगले अनुच्छेद में की गई विवेचना के अनुसार किया जायेगा।

(घ) नीति परिवर्तनों के लिए मूल आधार :

बजट के माध्यम से किये जाने वाले व्यय की नीति में प्रमुख बदलाव हालांकि नहीं किया जा रहा है किन्तु एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अन्तर्गत गठित 'लोक व्यय पुनर्विलोकन समिति' की अभिशंषा पर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भविष्य में किसी भी स्वायत्तशासी संस्था/बोर्ड/कम्पनी/समिति/न्यास आदि, जिसमें राज्य सरकार का पूंजीविनियोजन 51 प्रतिशत या अधिक है अथवा जिसे राजस्व व्यय की पूर्ति हेतु राज्य सहायता दी जानी है, का गठन राज्य मंत्रीमण्डल के अनुमोदन से ही किया जा सकेगा। लोक ऋण प्रबन्धन की दृष्टि से 'डेट-स्वेप' के माध्यम से महंगे ऋणों की मात्रा में कमी की गई है एवं अल्प बचत ऋणों पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लोक ऋण व अन्य दायित्वों की वृद्धि दर में कमी आना प्रारम्भ हो गई है, जो कि पूर्व में अधिकतम 25.48 प्रतिशत थी (वर्ष 1998-99) जबकि वर्ष 2011-12 के बजट अनुमानों के अनुसार 8.14 प्रतिशत अनुमानित है।

(ड.) नीति मूल्यांकन : वर्तमान राजवित्तीय नीति, अधिनियम के अन्तर्गत निरूपित मापदण्डों के अन्तर्गत है। अधिनियम द्वारा वांछित राजवित्तीय जानकारियां यथासंभव उपलब्ध कराई गई हैं। राजवित्तीय नीति की आवश्यक मान्यतायें (Assumptions) ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित होने से सामान्यतः विश्वसनीय तो हैं परन्तु आंकड़ों के पूर्वानुमान की अपनी सीमाएं होती हैं। एफ.आर.बी.एम. नियमों में प्रावधित सभी आवश्यक प्रकटीकरण प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

IV. प्रकटीकरण विवरण

1. राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम 2006 के नियम 5 के अन्तर्गत प्रकटीकरण विवरण प्ररूप प्र-1 से प्र-8 में दिया जाना अपेक्षित है, जो निम्नानुसार है:-

चयनित राजवित्तीय संकेतक प्ररूप प्र -1

	मद	2009-10 (वास्तविक)	2010-11 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)
1	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल राजवित्तीय घाटा	-4.03	-2.49
2	कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा(-)/आधिव्यय	-13.42	-1.93
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल दायित्व	35.85	32.65
4	कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में बकाया लोक ऋण और जोखिम भारित बकाया प्रत्याभूति	212.53	183.88
5	राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	52.26	53.79
6	सकल राजवित्तीय घाटे के प्रतिशत के रूप में पूंजी परिव्यय	50.25	90.28
7	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज का संदाय	19.13	16.10
8	राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में ब्याज का संदाय	16.87	15.80

सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की 31.12.10 को बकाया की स्थिति

क्र. सं.	नाम संस्था	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया नेट प्रत्याभूतियों की रकम राशि (1.4.10) को	वर्ष के दौरान परिवर्धन / आहरण (31.12.10 तक)	वर्ष के दौरान अपमार्जन जिनका अवलंब लिया गया है उनके अतिरिक्त (31.12.10 तक)	वर्ष के दौरान अवलंब लिया गया (31.12.10 तक)		(31.12.10 तक) को यथा विद्यमान बकाया	प्रत्याभूति कमीशन या फीस		अभ्युक्तियां
					उन्मोचित	अननुमोचित		प्राप्य	प्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अ-सहकारी संस्थायें -										
1	दी राज. स्टेट को आपरेटिव बैंक लिमिटेड	39.28	200.58	7.86			232.00	0.11610	0.06201	
2	श्री केशवराय पाटन सह. शुगर मिल्स लिमिटेड	0.40	0.00	0.00			0.40	0.00000	0.00000	
3	राज. राज्य सहकारी आवसन संघ लिमिटेड	13.84	0.00	1.17			12.67	0.14560	0.12420	
4	राज. राज्य क्रय विक्रय संघ लिमिटेड	0.00	300.00	206.00			94.00	0.16790	0.10500	
5	राज. राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड	1258.04	172.28	179.19			1251.13	1.21201	0.89920	
योग - अ		1311.56	672.86	394.22	0.00	0.00	1590.20	1.64161	1.19041	0.00
ब- सार्वजनिक संस्थायें -										
6	राजस्थान आवसन मण्डल	4.50	0.00	2.00			2.50	0.03500	0.02870	
7	राज. वित्त निगम लि.	111.88	0.00	28.93			82.95	0.93150	0.72410	
8	राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	8.30	0.20	0.22			8.28	0.00740	0.00560	
9	राज. राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि.	7.57	0.00	0.00			7.57	0.07570	0.05680	
10	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	4410.32	759.11	521.57			4647.86	4.27670	3.17670	
11	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	8839.82	3658.48	1324.77			11173.53	10.04470	7.25130	
12	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	9619.37	3364.87	1095.48			11888.76	10.76780	7.79560	
13	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	10745.60	3513.50	1348.19			12910.91	11.80641	8.57870	
14	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	3446.85	653.73	946.92			3153.66	3.26790	2.47950	
15	नगर विकास न्यास, कोटा	0.09	0.00	0.09			0.00	0.00070	0.00060	
16	जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	5.76	0.00	1.35			4.41	0.05090	0.03990	
17	राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	0.00	50.00	0.00			50.00	0.12500	0.00000	
18	नगर निगम, जयपुर	0.35	0.00	0.35			0.00	0.00090	0.00090	
19	राज. अजा. जजा. वित्त एवं विकास सह. निगम लिमिटेड	33.82	15.39	9.20			40.01	0.03790	0.02790	
20	राज. अल्प संख्यक वित्त एवं विकास सह. निगम लिमिटेड	8.50	0.00	0.84			7.66	0.00810	0.00620	
21	राज. अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सह. निगम लि.	25.14	0.00	1.10			24.04	0.00230	0.00170	
22	आवास विकास लिमिटेड	425.70	0.00	25.53			400.17	3.12149	2.09140	
23	राज. पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	7.33	0.00	1.00			6.33	0.06870	0.05290	
24	रा. रा. जलप्रदाय एवं सीवरेज निगम	54.60	0.00	1.22			53.38	0.20090	0.20090	
योग - ब		37755.50	12015.28	5308.76	0.00	0.00	44462.02	44.83000	32.51940	0.00
स - निजी संस्थायें -										
25	मेवाड़ टेक्टाईल मिल्स लिमिटेड	1.49					1.49	0.00000		
योग -स		1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00000	0.00000	0.00
द - अन्य-										
26	खारवाल्स	0.30	0.02				0.32	0.00000		
योग -द		0.30	0.02	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00000	0.00000	0.00
महायोग (अ+ब+स+द)		39068.85	12688.16	5702.98	0.00	0.00	46054.03	46.47161	33.70981	0.00

बकाया जोखिम—भारित प्रत्याभूतियां
प्ररूप प्र -3

(करोड़ रुपये में)

व्यतिक्रम सम्भाव्यता	जोखिम भार (प्रतिशत)	गत वर्ष के अंत में बकाया प्रत्याभूतियों की रकम 31-03-2010	गत वर्ष के अंत में जोखिम भारित बकाया प्रत्याभूतियां 31-03-2010
प्रत्यक्ष दायित्व	100	2.20	2.20
अति जोखिम	75	1378.61	1033.96
मध्यम जोखिम	50	565.28	282.64
निम्न जोखिम	25	37068.16	9267.04
अति निम्न जोखिम	5	0.00	0.00
शून्य जोखिम		54.60	0.00
कुल शोध्य		39068.85	10585.84

प्रत्याभूतियां मोचन निधि
प्ररूप प्र -4

(करोड़ रुपये में)

गत वर्ष के अंत में बकाया प्रत्याभूतियां (31.03.2010)	गत वर्ष के अंत में प्रत्याभूति मोचन निधि में बकाया रकम	प्रत्याभूतियों की रकम जिसका वर्ष के दौरान अवलंब लिया जाना संभावित है	चालू वर्ष के दौरान प्रत्याभूति मोचन निधि में परिवर्धन (अनन्तिम)	चालू वर्ष के दौरान प्रत्याभूति मोचन निधि में से आहरण (अनन्तिम)	चालू वर्ष के अंत में प्रत्याभूति मोचन निधि में बकाया रकम (अनन्तिम)
1	2	3	4	5	6
39068.85	157.73*	-	36.94	-	194.67*

* निधि से विनियोजि राशि पर अर्जित ब्याज सहित

31.03.2010 को यथाविद्यमान बकाया कर की मांगों का ब्यौरा
(यथा मांग की गयी किन्तु वसूल नहीं की गयी)

प्ररूप प्र -5

(करोड़ रुपये में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक	2 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक	10 वर्ष से अधिक	योग
0029	भू-राजस्व	48.11	56.21	12.98	1.12	118.42
0030	पंजीयन एवं मुद्रांक	17.52	47.50	48.59	2.60	116.21
0035	कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	66.04	233.58	-	-	299.62
0039	राज्य उत्पाद शुल्क	-	21.04	153.42	42.89	217.35
0040	बिक्री कर	1861.49	720.42	521.67	97.92	3201.50
0041	वाहन कर	13.26	13.19	10.07	8.06	44.58
0042	माल व यात्री कर	156.11	6.11	0.60	0.11	162.93
0043	विद्युत पर कर एवं शुल्क	-	-	-	-	106.50*
0045	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	24.94	3.48	1.18	0.80	30.40

टिप्पणी :- बकाया कर की मांगों में विवादित/न्यायिक प्रकरणों के कारण बकाया चल रही मांगें शामिल हैं।

* :- बकाया का वर्ष-वार विभाजन उपलब्ध नहीं है।

विहित राजवित्तीय संकेतकों की संगणना को प्रभावित करने वाले या सम्भाव्यतः प्रभावित करने वाले लेखा मानकों, नीतियों और पद्धतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण

प्ररूप प्र -6

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	लेखा मानकों, नीतियों और पद्धतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन	सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले राजवित्तीय संकेतक	राजवित्तीय संकेतक पर सम्भाव्य प्रभाव	अभ्युक्तियां (यदि कोई हों)
चालू वित्तीय वर्ष में लेखा मानकों, नीतियों और पद्धतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है।				

प्ररूप प्र -7

क. राज्य सरकार के उधार/अन्य दायित्वों के संघटक :

(करोड़ रुपये में)

प्रवर्ग	बकाया रकम (वित्तीय वर्ष के अंत में)	
	2009-10 (वास्तविक)	2010-11 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)
कुल लोक ऋण	64617.57	69433.05
आंतरिक ऋण	57143.08	61988.29
केन्द्रीय सरकार के उधार	7474.49	7444.76
अन्य दायित्व	26915.36	29623.47
भविष्य निधि और बीमा	18972.46	21835.51
आरक्षित निधि और जमा	7942.90	7787.96
कुल दायित्व	91532.93	99056.52

ख. भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिमों/ओवर ड्राफ्टों का ब्यौरा

	2009-10	2010-11 (31.12.2010 तक)
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिमों की औसत रकम (करोड़ रुपये में)	शून्य	शून्य
भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट की औसत रकम (करोड़ रुपये में)	शून्य	शून्य
ओवर ड्राफ्ट के दिनों की संख्या	शून्य	शून्य
ओवर ड्राफ्ट के अवसरों की संख्या	शून्य	शून्य

टिप्पणी:- अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट की औसत रकम की संगणना प्रत्येक दिन (अवकाश के दिनों को सम्मिलित करते हुए) पर अर्थोपाय अग्रिमों की बकाया रकम को जोड़कर और अप्रैल से रिपोर्ट की कालावधि के दौरान के दिनों की कुल संख्या से भाग देकर की जाती है।

प्राक्कलित वार्षिक पेंशन दायित्व का विवरण

प्ररूप प्र-8

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	परियोजित पेंशन दायित्व	अभ्युक्तियां (यदि कोई हों)
1	2012-13	5938.50	जीवनांकिक आधार पर पेंशन दायित्वों को प्राक्कलित किया गया है।
2	2013-14	6105.89	" "
3	2014-15	6294.58	" "
4	2015-16	6496.56	" "
5	2016-17	6703.47	" "
6	2017-18	6930.65	" "
7	2018-19	7179.02	" "
8	2019-20	7481.58	" "
9	2020-21	7708.83	" "
10	2021-22	8012.06	" "